

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 27/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/38

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:-

1. श्री पुनम चंद पुत्र श्री काम जी जाति रायका
निवासी 78, वार्ड सं.4, मकडी चोर, नागवाड़ा
गाँव बागीदौरा जिला बाँसवाड़ा (ऋणी व बंधक
कर्ता)
2. श्रीमती मानवी देवी पत्नी पुनम चंद जाति रायका
निवासी 185, वार्ड सं.4, मकडी चोर, नागवाड़ा
गाँव बागीदौरा जिला बाँसवाड़ा (सह ऋणी)
3. श्री महेन्द्र डिंडोर पुत्र पूनम चंद डिंडोर निवासी
183, वार्ड सं.4, मकडी चोर, नागवाड़ा गाँव
बागीदौरा जिला बाँसवाड़ा (जमानती)
4. श्री सोमा मायदा पुत्र श्री जाहु मायदा निवासी
वार्ड सं.6, नाल, बारीगामा, गाँव बरोडिया, जिला
बाँसवाड़ा (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 19.01.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री पुनम चंद पुत्र श्री काम जी जाति रायका निवासी 78, वार्ड सं.4, मकडी चोर,
नागवाड़ा गाँव बागीदौरा जिला बाँसवाड़ा (ऋणी व बंधक कर्ता) 2- श्रीमती मानवी देवी पत्नी पुनम चंद जाति
रायका निवासी 185, वार्ड सं.4, मकडी चोर, नागवाड़ा गाँव बागीदौरा जिला बाँसवाड़ा (सह ऋणी), 3- श्री
महेन्द्र डिंडोर पुत्र पूनम चंद डिंडोर निवासी 183, वार्ड सं.4, मकडी चोर, नागवाड़ा गाँव बागीदौरा जिला
बाँसवाड़ा (जमानती) 4- श्री सोमा मायदा पुत्र श्री जाहु मायदा निवासी वार्ड सं.6, नाल, बारीगामा, गाँव
बरोडिया, जिला बाँसवाड़ा (जमानती) को दिनांक 28.12.2018 को राशि रुपया 7,00,000 (अक्षरे सात लाख रुपया
मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और
भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21.12.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया
अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 30-06-2020 तक कुल बकाया ऋण राशि 8,38,700 रु. (आठ लाख अड़तीस



शुभ

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा. (राज.)

सात सौ मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है।
कयोरीटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री पुनम चंद पुत्र श्री काम
जी जाति रायका की सम्पत्ति जो खसरा नंबर 726 ग्राम बागीदौरा जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, जो माप
लगभग 1800 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में
प्रार्थी का बाड़ा, पश्चिम में प्रार्थी का बाड़ा, उत्तर में आम रास्ता सी.सी. रोड, दक्षिण में प्रार्थी की शेष भूमि उसके
बाद कोदर देवा पुत्र गौतम का खेत है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने
के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने
के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।


वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015
के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की
उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20
प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 30-06-2020 को ऋणी
अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं
करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 02.09.
2021 को जारी किये गए। दिनांक 20.09.2021 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री जगपाल सिंह डाबी
अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब हेतु समय चाहा तत्पश्चात से आज दिनांक तक
अनुपस्थित रहे एवं उन्होंने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थीगण 4 भी अनुपस्थित है। दिनांक 19.01.2022 को
अप्रार्थी सं. 1 से 4 का जवाब बंद किया गया।

दिनांक 19.01.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता
द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे
हैं। नियमों के अनुसार सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत




जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र में समस्त कार्यवाही पूर्ण की गई है। किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन आदेश नहीं है।
अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अंकित कुमार सिंह)
जिला न्यायाधीश,
बासवा (राज.)
बासवा